



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)
KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

पत्रांक: केयू/मान्यता/सम्बद्धता/2022/ 336

दिनांक: 19/11/22

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
सितारगंज, (ऊधम सिंह नगर)।

महोदय,

कुलाधिपति सचिवालय के पत्रांक: 1069/जी0एस0/शिक्षा/A3-75(2)/2020 दिनांक 02 अगस्त, 2021 के क्रम में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.12.2021 के मद संख्या-13 में लिए गये निर्णयानुसार महाविद्यालय को निम्नांकित पाठ्यक्रम में उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ 05 में वर्णित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रम0सं0	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	शैक्षणिक रात्र
1	2	3	4	5
1.	राजकीय महाविद्यालय, सितारगंज, (ऊधम सिंह नगर)।	बी0कॉम0	80 सीट	2020-21 (अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण)

ह0/
कुलपति

पू0सं0: केयू/मान्यता/सम्बद्धता/2022

तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, राजभवन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, निदेशालय, उत्तराखण्ड, नुवाइखेड़ा, गौलापार, हल्द्वानी।
4. परीक्षा नियंत्रक, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
5. निदेशक, डी0आई0सी0, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से

(दिनेश चन्द्रा)
कुलसचिव

प्राचार्य

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सितारगंज (ऊधम सिंह नगर)

022
1 पंक्ति के
- 01



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)
KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

पत्रांक: केयू/मान्यता/सम्बद्धता/2022/322

दिनांक: 14/12/22

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
सितारगंज, (ऊधम सिंह नगर)।

महोदय,

कुलाधिपति सचिवालय के पत्रांक: 3523/जी0एस0/शिक्षा/८3-75(2)/2020 दिनांक 22 मार्च, 2021 के त्रुग में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.12.2021 के मद संख्या-13 में लिए गये निर्णयानुसार महाविद्यालय को निम्नादिता पाठ्यक्रम में उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तरग 05 में वर्णित अवधि के लिए अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रमसं०	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	शैक्षणिक सत्र
1	2	3	4	5
1.	राजकीय महाविद्यालय, सितारगंज, (ऊधम सिंह नगर)।	बी0कॉम0	80 सीट	2019-20 (अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण)

ह0/
कुलपति

प्र०सं०: केयू/मान्यता/सम्बद्धता/2022

तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, राजभवन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, निदेशालय, उत्तराखण्ड, नुवाडखेड़ा, गौलापार, हल्द्वानी।
4. परीक्षा नियंत्रक, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
5. निदेशक, डी0आई0सी0, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
6. गार्ड फाईल हेतु।

अज्ञा से

(दिनेश चन्द्रा)
कुलसचिव

प्राचार्य

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सितारगंज (ऊधम सिंह नगर)

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
सितारगंज (ऊधम सिंह नगर)

31/2022
केयू/मान्यता/सम्बद्धता/2022/322



संख्या : 1/जी0एस0/शिक्षा/A3-75(2)/2020

उपक.

बृजेश कुमार संत,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय: उत्तराखण्ड
महोदय

देहरादून दिनांक जुलाई, 2021

कृपया अपने पत्र संख्या: 2558/कै0यू0/सम्बद्धता/2020-21 दिनांक 11 फरवरी, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजकीय महाविद्यालय, सितारगंज, ऊधमसिंहनगर को बी0कॉम0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2020-21 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति जी संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति द्वारा कार्यान्तर स्वीकृति सत्र दर सत्र के आधार पर निम्न उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	राजकीय महाविद्यालय, सितारगंज, (ऊधमसिंहनगर)	बी0कॉम0	80 सीट	सत्र 2020-21

- 1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।
- 2- महाविद्यालय के समस्त मानक पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा। जिन मानकों के पूर्ण कराने के सम्बन्ध में शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित हो, उनके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय इस सचिवालय के पत्र सं0- 2565 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के क्रम में शासन से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- 3- विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, कार्यपरिषद की आवश्यकता एवं विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुये महाविद्यालय को सम्बद्धता दिये जाने के निर्णय से पूर्व यू0जी0सी0 विनियम/राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी, ताकि छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- 4- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 1/जी0एस0/शिक्षा/A3-75(2)/2020 तदुदिनांकित।

- प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन।
 2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
 3. प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सितारगंज, (ऊधमसिंहनगर)
 4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

प्राचार्य

राजकीय रनातकोत्तर महाविद्यालय
सितारगंज (ऊधम सिंह नगर)

आज्ञा से,

(जितेंद्र कुमार सोबकर)
कुलाधिपति के अपर सचिव।